भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 670

9 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में सुधार

670. श्री मितेष पटेल (बकाभाई):
श्री जगन्नाथ सरकारः

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में गुणवत्तापूर्ण आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा अस्पताल/सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देशभर में आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में पर्याप्त जनशक्ति तैनात करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, देश में गुणवत्तापूर्ण आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अस्पताल/सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। हालांकि, भारत सरकार ने आयुष चिकित्सा पद्धतियों के समग्र विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है, जिसमें ढांचागत विकास और आयुष सेवाओं तक पहुंच भी शामिल है। राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत आयुष अस्पतालों/औषधालयों के उन्नयन के घटक के तहत देश में मौजूदा आयुष अस्पतालों/औषधालयों की स्थिति में सुधार के लिए प्रावधान उपलब्ध कराया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, मौजूदा विशिष्ट/एकल सरकारी आयुष अस्पतालों/औषधालयों का निर्माण, मौजूदा परिसर के नवीनीकरण, फर्नीचर, स्थावर और उपकरणों की खरीद के लिए गैर-आवर्ती अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ख) और (ग): चूंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है, देश भर में आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती है। हालांकि, एनएएम के तहत, विशिष्ट/एकल सरकारी आयुष अस्पतालों (पीएचसी/सीएचसी/डीएच के अलावा), आयुष स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों और 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के घटकों के तहत जनशक्ति का संविदात्मक नियोजन का प्रावधान है। इसके अलावा, विशिष्ट/एकल सरकारी आयुष अस्पतालों (पीएचसी/सीएचसी/डीएच के अलावा) और 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों के उन्नयन के घटक के तहत जनशक्ति की तैनाती के संबंध में प्रावधान एनएएम दिशानिर्देशों में उपलब्ध हैं, जिन्हें https://cdn.ayush.gov.in/wp-content/uploads/2022/11/National-Ayush-Mission-Guidelines.pdf पर देखा जा सकता है।

*****